बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

आदेश

पटना, दिनांक , 2015

संख्या–2/आ0–70–11/2014 गृ0आ0 /श्री मुकुल कुमार रंजन, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (मु0), दरभंगा के विरूद्ध आरोप है कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इनके कार्यालय से संबंधित राजगीर थाना कांड सं0–145/13, नालन्दा थाना कांड सं0–92/13, बेन थाना कांड सं0–101/13 तथा अन्य कांडों की जांच में पाया गया कि इनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है परन्तु गवाहों का बयान घटनास्थल पर न लेकर बाद में अंकित किया गया है। इनके द्वारा संगीन मामलों के पर्यवेक्षण में भी अल्प समय दिया गया है तथा कई कांड अनुसंधानकर्त्ता के स्तर पर लंबित है। ये अपराध संबंधी अभिलेखों का अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से उपयोग के बारे में भी अवगत नहीं है। यह उनके कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

2. उक्त कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के लिए इनके विरूद्ध गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञाप सं0–5207 दिनांक 25.06.2014 द्वारा ज्ञापन निर्गत किया गया तथा अपने पक्ष में इनसे लिखित बचाव बयान की मांग की गई। श्री रंजन ने अपना लिखित बचाव बयान विभाग को समर्पित किया। आरोपित द्वारा अपने बचाव अभिकथन में आरोप को स्वीकार नहीं किया गया है।

3. श्री रंजन के विरूद्ध लगाये गये आरोप एवं इनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत राज्य सरकार ने दंड स्वरूप इनका एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ भविष्य के लिए **'चेतावनी'** देने का निर्णय लिया है।

4. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री मुकुल कुमार रंजन, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), दरभंगा का एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ **'चेतावनी'** का दण्ड दिया जाता है। इस दण्ड की प्रविष्टि इनके चरित्रपुस्त में की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(महाशंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–11/2014 गृ0आ0 2547 /पटना, दिनांक 10/4 ,2015

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर सचिव (प्रशाखा–5), गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/श्री मुकुल कुमार रंजन, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), दरभंगा द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आई. टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/15
सरकार के विशेष सचिव।